पत्रांक– मं०स०का०का०(गठन) 01 / 2007 / 994

*बिहार सरकार*

*मंत्रिमंडल सचिवालय (का०का०) विभाग*

–:: *संकल्प* ::–

**दिनांक 16 नवम्बर, 2009**

अर्थ–व्यवस्था को सुदृढ़ करने, कमजोर वर्गों के परिवारों को सहायता दिलाने हेतु तथा राज्य सरकार द्वारा लागू की जा रही विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति गठन की व्यवस्था है। जिला स्तरीय समिति के कार्यों को और प्रभावकारी बनाने के उद्देश्य से पूर्व में विभागीय संकल्प संख्या 1480 दिनांक 15.06.2007 द्वारा की गयी व्यवस्था को अवक्रमित करते हुए राज्य सरकार ने सम्यक् विचारोपरान्त निम्नरूपेण जिला स्तरीय समिति के पुनर्गठन तथा तत्संबंधी अन्य व्यवस्था करने का निर्णय लिया है।

02. जिला स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का गठन निम्नांकित रूप से किया जाता है। समिति का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा। इस समिति के निम्नांकित सदस्य होंगे :–

| *क्र0* | *नाम* | *पदनाम* |
|---|---|---|
| *1.* | जिला के प्रभारी मंत्री | अध्यक्ष |
| *2.* | मुख्यमंत्री द्वारा नामित | उपाध्यक्ष |
| *3.* | मुख्यमंत्री द्वारा नामित | उपाध्यक्ष |
| *4.* | जिला के लोकसभा सदस्य | पदेन सदस्य |
| *5.* | जिला के वैसे राज्य सभा के सदस्य जिनका गृह जिला प्रश्नगत जिला में अवस्थित हो। | पदेन सदस्य |
| *6.* | जिला के विधान सभा के सभी सदस्य | पदेन सदस्य |
| *7.* | जिला के वैसे विधान परिषद् के सदस्य, जिनका गृह जिला प्रश्नगत जिला में अवस्थित हो। | पदेन सदस्य |
| *8.* | जिला परिषद् के अध्यक्ष | पदेन सदस्य |
| *9.* | जिला नगर निगम के महापौर / नगर परिषद् / नगर पंचायत के अध्यक्ष | पदेन सदस्य |
| *10.* | मुख्यमंत्री द्वारा नामित 25 सदस्य होंगे जिनमें अनुसूचित जाति / जनजाति के अलावा अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं महिला वर्ग के प्रतिनिधि भी अवश्य होंगे। | सदस्य |
| *11.* | जिला पदाधिकारी | सदस्य सचिव |

03. इसके अतिरिक्त उप विकास आयुक्त, आरक्षी अधीक्षक सभी जिला स्तरीय प्रशासनिक एवं तगनीकी पदाधिकारी, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, जिला में अवस्थित विभिन्न बैंकों के जिला समन्वयक तथा नाबार्ड के डी०डी०एम० पदेन सदस्य होंगे।

03.1 अध्यक्ष (प्रभारी मंत्री) की स्वीकृति से समिति की बैठक प्रत्येक दो माह में कम से कम एक बार होगी।

04. यह बैठक दो सत्रों में होगी। पहले सत्र मे जिला समिति की बैठक होगी। द्वितीय सत्र में जिला के अन्तर्गत प्रखंड स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समितियों की कार्यवाही प्रतिवेदन एवं अनुपालन प्रतिवेदन के साथ प्रखंडों में नियमित बैठक हो रही है या नहीं की समीक्षा की जाएगी, जिसमें प्रखंड कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पंचायत समिति के अध्यक्ष तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी भी भाग लेंगे। प्रत्येक बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी, किसी अनियमितता अथवा पदाधिकारियों पर कार्रवाई की अनुशंसा सदस्य सचिव (जिला पदाधिकारी) संबंधित विभाग को करेंगे।

05. ***जिला स्तरीय समिति के कृत्य एवं दायित्व*** :

5.1 राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं तथा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की मदवार समीक्षा। (अनुलग्नक 'क' पर राज्य सरकार द्वारा लागू महत्त्वपूर्ण योजनाओं की सांकेतिक सूची संलग्न है।)

5.2 जन वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण व्यवस्था की समीक्षा।

5.3 ग्रामीण रोजगार संबंधी बिन्दुओं पर विस्तार से समीक्षा।

5.4 कृषि एवं कृषि पर आधारित योजनाओं (बैंकों के सहयोग पर आधारित योजनाओं सहित) की जिला स्तर पर कार्यान्वयन की समीक्षा।

5.5 बिहार भूजल सिंचाई योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा।

5.6 ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के अलावा ग्रामीण कार्य विभाग के तथा अन्य ग्रामीण पथ एवं पुल–पुलिया के निर्माण से संबंधित योजनाओं की समीक्षा।

5.7 शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पेयजल योजनाओं की समीक्षा।

5.8 वन विस्तार के अलावा हॉर्टिकल्चर मिशन को बड़े पैमाने पर लागू करने की दिशा में पहल।

5.9 बेरोजगारी से निपटने के लिए स्वयं सहायता समूह एवं स्वरोजगार संबंधी योजनाओं के कार्यान्वयन पर विचार।

5.10 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यकों एवं भूमिहीनों को कृषि/ग्रामीण विकास/राजस्व एवं भूमि सुधार द्वारा मिलने वाली सुविधाओं के अलावा इन्हें स्वयं सहायता समूह में संगठित करने की समीक्षा।

5.11 बैंकों द्वारा विभिन्न स्रोतों से वित्त पोषित बड़ी–बडी योजनाओं की समीक्षा, जिसमें नाबार्ड की आर॰आई॰डी॰एफ॰ योजना भी सम्मिलित होगी।

5.12 अध्यक्ष महोदय के निदेश पर अन्यान्य बिन्दु।

06. जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के दोनों उपाध्यक्षों के लिए संयुक्त रूप से एक कमरे का कार्यालय कक्ष उपलब्ध कराया जाएगा। दोनों उपाध्यक्षों की सहायता के लिए संयुक्त रूप में उपलब्ध कार्यबल से ही अंशकालिक रूप से एक डाटा ऑपरेटर अथवा लिपिक तथा एक

अनुसेवक की सेवा सदस्य सचिव द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी ; इस हेतु कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी।

07. बैठक में भाग लेने के लिए गैर–सरकारी सदस्य, गैर–सांसद, गैर–विधान मंडल सदस्यों/उपाध्यक्षों को दैनिक भत्ता के रूप में 100/– रू० (एक सौ रूपये) तथा यात्रा भत्ता रु० 250/–(दो सौ पचास रुपये) प्रति बैठक देय होगा। दैनिक भत्ता/यात्रा भत्ता उन्हें समिति की बैठक में भाग लेने पर ही अनुमान्य होगा।

08. दोनों उपाध्यक्षों को नियत आतिथ्य भत्ता के रूप में रू0 500/- (पाँच सौ रुपये) मात्र प्रतिमाह देय होगा।

09. जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के दोनों उपाध्यक्षों को अपने क्षेत्राधिकार के अंदर कार्यक्रम कार्यान्वयन से संबंधित कार्यों के स्थल अध्ययन (यदि आवश्यक हो) हेतु की जाने वाली यात्रा के लिए महीने में एक–एक दिन परिवहन की सुविधा (भाड़े की गाड़ी) एक सप्ताह पूर्व प्राप्त उपाध्यक्षों की अधियाचनानुसार जिला पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी।

10. अध्यक्ष के निदेश पर कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन हेतु उपसमिति गठित की जा सकेगी, लेकिन इसका कार्य एवं दायित्व किसी विशेष प्रयोजन के लिए ही होगा।

**<u>आदेश</u>** : आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की सूचना के लिए इसे बिहार राजपत्र में प्रकाशित कराया जाय।

अनु0 :– यथोक्त।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(राम उद्गार महतो)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक – मं०स०का०का०(गठन) 01/2007/994 पटना, दिनांक 16 नवम्बर, 2009

प्रतिलिपि – महालेखाकार, बिहार/सभी मंत्री/राज्यमंत्री/उप मंत्रीगण एवं अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्यवन समिति को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
(राम उद्गार महतो)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक– मं०स०का०का०(गठन) 01/2007/994 पटना, दिनांक 16 नवम्बर, 2009

प्रतिलिपि – मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/अध्यक्ष एवं सदस्य, राजस्व पर्षद/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सचिव/उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(राम उद्गार महतो)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक– मं०स०का०का०(गठन) 01 / 2007 / 994 पटना, दिनांक 16 नवम्बर, 2009

प्रतिलिपि – सभी विभागीय प्रधान सचिव / सचिव / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी विभागाध्यक्ष / सभी जिला पदाधिकारी / सभी आरक्षी अधीक्षक / सभी जिला के उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ। जिला पदाधिकारी अपने अनुमंडल पदाधिकारियों / जिला के तकनीकी पदाधिकारियों को इसकी एक प्रति उपलब्ध करायेंगे। इसी तरह आरक्षी अधीक्षक अपने सभी आरक्षी उपाधीक्षकों को इसकी प्रति उपलब्ध करायेंगे।

ह0 / –
(रांम उद्गार महतो)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक– मं०स०का०का०(गठन) 01 / 2007 / 994 पटना, दिनांक 16 नवम्बर, 2009

प्रतिलिपि – राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि संकल्प का 1000 (एक हजार) प्रतियाँ अविलंब मुद्रित कर इस विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

16/11

(राम उद्गार महतो)
सरकार के अवर सचिव

अनुलग्नक 'क'

## कार्यक्रम कार्यान्वयन की दृष्टि से समीक्षा की जानेवाली योजनाओं की सांकेतिक सूची

1. मुख्यमंत्री अनु०जाति एवं अनु०जनजाति मेधा वृत्ति योजना।
2. मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधा वृत्ति योजना।
3. मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विधार्थी प्रोत्साहन योजना।
4. मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना
5. मुख्यमंत्री सामर्थ्य योजना
6. मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना
7. मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना
8. मुख्यमंत्री भिक्षावृति निवारण योजना 'पहचान'
9. मुख्यमंत्री निःशक्त जन शिक्षा ऋण योजना
10. मुख्यमंत्री निःशक्त जन स्वरोजगार ऋण योजना
11. मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना
12. मुख्यमंत्री समग्र विद्यालय विकास कार्यक्रम
13. मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना
14. मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना
15. मुख्यमंत्री खेल विकास योजना
16. मुख्यमंत्री आवास योजना
17. मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना
18. मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष योजना
19. मुख्यमंत्री जिला विकास योजना
20. मुख्यमंत्री नगर (समेकित शहरी) विकास योजना।
21. मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना
22. मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना
23. मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना
24. मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना
25. मुख्यमंत्री महादलित पोशाक योजना
26. मुख्यमंत्री जीवन दृष्टि योजना
27. मुख्यमंत्री अक्षर आंचल योजना
28. लोहिया स्वच्छता योजना
29. महादलितों के विकास के लिए कार्यान्वित योजनाएँ
30. केन्द्र प्रायोजित योजनायें यथा, नरेगा, इंदिरा आवास योजना, स्वर्ण जयंती, ग्राम स्वरोजगार योजना, हरियाली योजना, जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन (JNNURM) की योजनायें।

D:\Ranjeet\Dy. Secy\SKK123.doc